

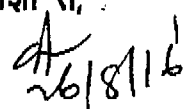
उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1209/ग्यारह-7(23)/83-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(164)-2016
लखनऊ, दिनांक: 26 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-252/ग्यारह-7(23)/83-उ0प्र0अध्या0-37-2008-आदेश-(4)-2008 दिनांक 1 फरवरी, 2008 में दिनांक 27 अगस्त, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, खण्ड (ग) में, स्तम्भ 3 में, शब्द " केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्यों और उत्तर प्रदेश के पी0ए0सी0 कर्मियों " के स्थान पर शब्द "केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।